कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक : 2113 / 14–1 रामपुर, दिनांक : 06 अप्रैल 2017

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र उ0प्र0,
मुरादाबाद।

विषय :– **जनपद रामपुर में मै0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, बरेली द्वारा रामपुर–केमरी मार्ग (ओ0डी0आर0 नं0–20), किमी0 13, चैनेज 13.352 की बांयी पटरी पर खसरा/गाटा सं0 750, ग्राम जनुनागर, तहसील मिलक में स्थापित किये जा रहे पैट्रोल/डीजल पम्प हेतु सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य में प्रभावित 0.0591है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

संदर्भ – **Online Submission File No. FP/UP/Others/25456/2017 date 31-03-2017 प्राप्ति dated 10-04-2017**

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में मै0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, बरेली द्वारा रामपुर–केमरी मार्ग (ओ0डी0आर0 नं0–20), किमी0 13, चैनेज 13.352 की बांयी पटरी पर खसरा/गाटा सं0 750, ग्राम जनुनागर, तहसील मिलक पर पेट्रोल/डीज़ल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.0591 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति की आवश्यकता हैं।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथा संशोधित 1988 की धारा – 2 के अन्तर्गत 0.0591 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के भूमि हस्तांरण प्रस्ताव 03 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किये जा रहें है। इस परियोजना से इस वन प्रभाग के अन्तर्गत किसी प्रकार का वन एवं वन्य जीव प्रभावित नहीं होगा। कृपया उपरोक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजने की कृपा करें।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गजेन्द्र सिंह)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सेल्स ऑफीसर (रिटेल) रामपुर, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, बरेली।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, मिलक।

(गजेन्द्र सिंह)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।